

aware that there is presently a temporary disequilibrium between supply and demand due to the reluctance of users of bristle fibre to pay higher prices as a result of which production shifted to decorticated fibre. More units are being encouraged to increase brown fibre production in Karnataka and Tamil Nadu due to improvement in power situation. The situation is expected to improve soon. If appropriate prices for bristle fibre are paid, the supply will respond to the demand.

#### **Expenditure on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan**

7073. SHRI MOOL CHAND DAGA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the Central Funds spent in Rajasthan on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last three years, year-wise;

(b) the manner in which funds were utilised and the results achieved;

(c) the funds sanctioned for the next three years; and

(d) the relief schemes formulated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

(a) to (d). Information is being collected from the Government of Rajasthan and the Central Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House.

#### **जेलों में कैदी**

7074. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की जेलों में कैदियों की संख्या उनकी जेलों की क्षमता से दूनी है और यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कैदियों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत कैदी ऐसे

हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें 25 प्रतिशत से अधिक कैदी दस वर्ष से भी अधिक समय से अपने मामलों में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है. और

(घ) इस संबंध में स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मक्वाना) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं उठाये जा रहे हैं :—

1. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से—

(1) विचाराधीन कैदियों के शीघ्र विचारण हेतु उनके मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए पुनरीक्षण समितियां बनाने,

(2) गरीब कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कानूनी अधिकारी नियुक्त करने,

(3) छानबीन और जांच के लिए समय सीमा निर्धारित करने से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों का पूरी तरह अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

2. विचाराधीन नजरबंदी की अनुचित लम्बी अवधियों को कम करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

#### **Rehabilitation of Bangladesh infiltrators in Assam in other States**

7075. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to rehabilitate the infiltrators from Bangladesh in Assam in other States; and